विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
8. (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की फसलों में प्रतिवर्ष नये रोग, फफूंदियों, कीटों और खरपतवार से पैदा होने पर कोई शोध सरकार कराती है ?	जी हॉ।
(ख) क्या कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?	कृषि में प्रयुक्त दुष्प्रभाव वाले रसायनों का उत्पादन, बिक्री एवं प्रयोग प्रतिबंधित कर इसे दंडात्मक बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अब तक 49 हानिकारक रसायनों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें विगत पांच वर्षो की अवधि में, वर्ष 2018 में कुल 17 एवं वर्ष 2023 में 3 हानिकारक रसायनों को प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रतिबंधित कृषि रक्षा रसायन का विवरण निम्नवत है:- 1.एलाक्योर 2.बनोमाइल 3.कार्बरिल 4.डायाजिनान 5.डाईक्लोरोवास 6.फनारिमोल

7.फेनथिओन
8.लिनुरान
9.मिथाइल-इथाईल मरकरी क्लोराइड
10.मिथाइल पैराथियान
11.फोरेट
12.फोस्फामिडान
13. सोडियम साईनाइड
14. थीयोमेटान
15. ट्राइजोफास
16. ट्राईडेमार्फ
17. ट्राईक्लोरफान

वर्ष 2023 में प्रतिबंधित कृषि रक्षा रसायन का विवरण निम्नवत है:-

1. डाईकोफ़ोल
2. डाईनोकेप
3. मेथोमाइल

(ग) यदि हॉ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

उपरोक्तानुसार

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।